

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
DEPARTMENT OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION  
MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, DELHI-110088.  
(SECRETARIAT BRANCH)

The Government of NCT of Delhi is seeking to select a Vice Chancellor for the Delhi Technological University that was established under the Act 6 of 2009. The following categories of persons are eligible to apply for the post :

1. Professors in Engineering, Science & Technology, management and allied areas with a minimum of 10 years experience in the post of Professor;
2. Scholars of eminence in the field mentioned at (1) above (Bhatnagar Award winner, recipient of other National Awards);
3. Persons with vast experience in administration, particularly those who may have worked in the public/ private sectors and who have contributed in the fields of Science/ Technology/ Management.

Applicants may submit their applications in sealed envelope along with copies of supporting documents and one colour passport size photograph. The Applicants should clearly mention their achievements in academia, research or administration and a brief vision statement for the DTU.

Last date of receipt of application is 18.04.2022 (by 5.00 pm). The application for the post of Vice Chancellor, Delhi Technological University must reach the Deputy Director (Secretariat Branch), Directorate of Training & Technical Education, Muni Maya Ram Marg, Delhi - 110088 before the last date of receipt of application i.e. 18.04.2022 (by 5:00 pm).

The Chancellor may at his discretion relax any of the conditions in cases of an exceptionally qualified and experienced candidate.

Further, the applicants are requested to visit the Department website, [www.tte.delhigovt.nic.in](http://www.tte.delhigovt.nic.in) for updates/details.

**Other Conditions:**

1. The Vice Chancellor shall hold office for a term of 05 years from the date on which he/she enters upon his office or upto the age of 70 years, whichever is earlier and shall be eligible for re-appointment for not more than one term.
2. The Vice Chancellor shall be paid Rs. 2,10,000/- (Fixed) per month, with the special allowance of Rs.5000/- per month.
3. Other emoluments and other conditions shall be as per the provisions of the DTU Act and Statutes.

  
(**RANJANA DESWAL**)  
**DIRECTOR, TTE**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
मुनि माया राम मार्ग, पीतम पुरा, दिल्ली-110088.  
(सचिवालय शाखा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 2009 का अधिनियम 6 के अन्तर्गत स्थापित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए एक कुलपति का चयन करने की इच्छुक है। निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

1. प्रोफेसर के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव सहित इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों में प्रोफेसर;
2. ऊपर (1) में उल्लिखित क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्वान (भटनागर पुरस्कार विजेता, अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता);
3. प्रशासन में व्यापक अनुभव वाले व्यक्ति, विशेष रूप से वे जिन्होंने सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में कार्य किया हो और जिन्होंने विज्ञान/प्रौद्योगिकी/प्रबंधन के क्षेत्र में योगदान दिया हो।

आवेदक अपने आवेदन सीलबंद लिफाफे में सहायक दस्तावेजों की प्रतियाँ और एक रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ जमा कर सकते हैं। आवेदकों को स्पष्ट रूप से शैक्षणिक, अनुसंधान या प्रशासन में अपनी उपलब्धियों और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए एक संक्षिप्त दृष्टिकोण विवरण का उल्लेख करना चाहिए।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18.04.2022 (सायं 05:00 बजे तक) है। कुलपति, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पद के लिए आवेदन उप निदेशक (सचिवालय शाखा), प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय, मुनि माया राम मार्ग, दिल्ली -110088 को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पहले अर्थात् 18.04.2022 (सायं 05:00 बजे तक) पहुंच जाना चाहिए।

असाधारण रूप से योग्य और अनुभवी उम्मीदवार के मामले में कुलाधिपति अपने विवेक से किसी भी शर्त में छूट दे सकते हैं।

इसके अलावा, आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपडेट/विवरण के लिए विभाग की वेबसाइट [www.tte.delhigovt.nic.in](http://www.tte.delhigovt.nic.in) पर जायें।

अन्य शर्तें:

1. कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 05 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, इसमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
2. कुलपति को रु. 2,10,000/- (निश्चित) प्रति माह, 5000/-रूपये विशेष भत्ते सहित दिये जायेंगे।
3. अन्य परिलब्धियाँ और अन्य शर्तें दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम और संविधियों के प्रावधानों के अनुसार होंगी।

रंजना

(रंजना देसवाल)

निदेशक, प्रशि0 एवं तक0 शिक्षा